भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 862
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु के लिए कृषि उड़ान फ्लाइटें

862. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए राज्य-वार कुल कितनी कृषि उड़ान फ्लाइटें संचालित हो रही हैं;

(ख) योजना के तहत कितनी मात्रा में शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पाद की ढुलाई की गई है और प्रकार और लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय, बाजार पहुंच और फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना में लघु और सीमांत किसानों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कृषि उड़ान को अन्य संभारतंत्र, शीत-शृंखला अवसंरचना और ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य देश के विशेष रूप से उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न सभी कृषि-उपज के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्धता, हवाई परिवहन और संबंधित लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना है। इस योजना में देश के 58 हवाईअड्डों को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य क्षेत्रों/स्थानों पर स्थित 33 हवाईअड्डों के अलावा प्रमुख रूप से ध्यान उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के 25 हवाईअड्डों पर केंद्रित हैं।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ भारतीय विमानन क्षेत्र को अविनियमित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप किसी भी मार्ग पर परिचालन का निर्णय पूरी तरह से एयरलाइनों के पास होता है, जो मार्गों की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य प्रासंगिक वाणिज्यिक विचारों पर आधारित होता है।

(ख) तमिलनाडु में हैंडल किए गए नाशवान टन भार (लाख मीट्रिक टन) निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल
2022-23	0.04	0.26	0.30

2023-24	0.05	0.29	0.34
2024-25	0.07	0.28	0.35

(ग) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है;

(घ) और (ङ) कृषि उड़ान आठ मंत्रालयों/विभागों अर्थात् नागर विमानन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलों की एक अभिसरण योजना है। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की ढुलाई को सुविधाजनक बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना के तहत चयनित हवाईअड्डों पर भारतीय माल वाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमान के लिए लैंडिंग शुल्क और पार्किंग शुल्क की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एएआई के चयनित हवाईअड्डों पर मार्ग दिक्चालन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) को माफ कर दिया जाता है।

*****